डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अप्रैल 2002—वैशाख 3, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक 3168/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 22-4-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002

अनुक्रमणिका

खण्ड :

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 22 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान(संशोधन)अधिनियम, 2002(क्र. 22 सन् 2002) है.

धारा 2 का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ख क) निजी सेवायान में सम्मिलित है भागीदारी फर्म, निगमित निकाय, कंपनी या फैक्ट्री के स्वामित्व के मोटरयान एवं लोक उद्देश्यों में उपयोग होने वाले वाहन सम्मिलित नहीं है."

(दो) मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(घ) बेड़ा स्वामी के मामले में "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष और किसी अन्य प्रकरण के मामले में अभिप्रेत है बारह मासों की वह कालावधि जो उस मास के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है जिसको कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किया गया हो या उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित किया गया हो और "तिमाही" से अभिप्रेत है उस मास के प्रथम दिन से, जिसको कि मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किया गया या उसे नया रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समानुदेशित किया गया हो, प्रत्येक तीन मास."

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "एक-तिहाई" तथा शब्द "दुगने से अनधिक" के स्थान पर शब्द "एक-बारहवें" तथा शब्द "कर की बकाया तथा असंदत रकम के बराबर" क्रमश: स्थापित किए जाएं.

(दो) उपरोक्त धारा के परंतुक में शब्द "एक-दशमांश" तथा शब्द "प्रत्येक वर्ष या उसके भाग" के स्थान पर शब्द "एक-शतांश" तथा शब्द "प्रत्येक मास या उसके भाग" क्रमश: स्थापित किए जाएं.

(तीन) उपरोक्त परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि यदि 1-11-2000, को किसी अवधि की शास्ति का भुगतान बकाया होने पर और यदि त्रुटिकर्त्ता 1-11-2002 के पूर्व भुगतान करता है तो उसे शास्ति के बकाया राशि में 50 प्रतिशत की छूट, दी जायेगी".

4. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाये, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन.

"17 अपराध, शास्तियां और सक्षम न्यायालय- (1) मोटरयान का स्वामी यदि,—

(क) धारा 8 के अधीन गलत या अपूर्ण घोषणा या अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात करता है या उक्त धारा द्वारा यथा अपेक्षित घोषणा या अतिरिक्त घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ख) मोटरयान के परमिट की अभिव्यक्त शर्तों के अधीन गलत या अपूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है या प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात करता है या परमिट द्वारा यथा अपेक्षित विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है; या

(ग) धारा 14 की उपधारा (1) या उसके अधीन बनाये गये नियमों में उल्लिखित वाहन अनुपयोगी के उपबंधों का कपटपूर्वण या सत्याशय या अन्यथा उल्लंघन करता है; या

(घ) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उसके अनुसार पारित विधिपूर्ण आदेशों के उल्लंघन में जानबूझकर कार्य करता है;

ऐसे जुर्माने से जो 5000.00 रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और किसी द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिये ऐसे जुर्माने से जो 5000.00 रुपये से कम नहीं होगा और 10000.00 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा.

(2) धारा 3 के अधीन कोई कर और धारा 13 के अधीन शास्ति जुर्माने के तौर पर वसूली योग्य होगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध की जांच तथा विचारण मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा किया जायेगा.

5. मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाये, अर्थात् :— धारा 17 (क) का अन्त: स्थापन.

"17 (क) अपराधों का प्रशमन :—(1) कराधान प्राधिकारी द्वारा धारा 17 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये या तो प्रक्रिया संस्थित करने के पूर्व या पश्चात् ऐसे अपराध का ऐसी दर पर जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संयोजन द्वारा शमन कर सकेगा.

(2) कराधान प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन यथा अवधारित राशि का व्यतिक्रमी द्वारा संदाय करने पर उसके विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही नहीं की जायेगी और यदि ऐसे अविधिपूर्ण कार्य के संबंध में कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में पूर्व में संस्थित की गई है तो उसे ऐसे संदाय से माफी दी जायेगी या उन्मुक्त हो जायेगा.

6. मूल अधिनियम के प्रथम अनुसूची में :— प्रथम अनुसूची में संशोधन.

(1) मद चार के उपमद (क), (ख) एवं (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद स्थापित किये जाये, अर्थात् :—

"(क) तीन से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिए अनुज्ञात यान- (मोटरसाईकिल/आटोरिक्शा/तिपहिया/चारपहिया) रु. 50.00 प्रति सीट प्रति तिमाही

(ख) तीन से अधिक किन्तु छ: से अनधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात यान-(तिपहिया/चारपहिया).

(एक) अखिल भारतीय पर्यटक परमिट से आच्छादित	रु. 200.00 प्रति तिमाही.
(दो) ऊपर (एक) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न परमिट से आच्छादित	रु. 150.00 प्रति सीट तिमाही.

(ग) छ: यात्रियों से अधिक यात्रियों को ले जाने तथा शहर मार्गों पर/पार्श्वस्थ क्षेत्रों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, मंजिली गाड़ी (स्टेज कैरिज)/ठेका गाड़ी (कांट्रेक्ट कैरिज) के रूप में चलाये जाने के लिये अनुज्ञात यान—

(एक) एक्सप्रेस सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात यान की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिये, जिसे ले जाने के लिये यान अनुज्ञात किया गया है.	रु. 125.00 प्रति सीट प्रति तिमाही.
(दो) साधारण सेवा के रूप में चलाने के लिये अनुज्ञात यान, की बाबत, ऐसे प्रत्येक यात्री के लिये, जिसे ले जाने के लिये यान अनुज्ञात किया गया है.	रु. 100.00 प्रति सीट प्रति तिमाही.

(2) मद चार, के उपमद (च) के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) ऐसे यान, जो छ: से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिये अनुज्ञात हैं, और जो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन अन्य राज्यों द्वारा जारी किये गये अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के अंतर्गत ठेका गाड़ी के रूप में चलाये जा रहे हैं (चालक को छोड़कर) प्रत्येक सीट के लिये जिसे ले जाने के लिये वह यान अनुज्ञात है—

(क) नियमित आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में	रु. 900.00 प्रति सीट प्रतिमाह.
(ख) आकस्मिक आधार पर संचालित पर्यटक यान के संबंध में, जो नियमित आधार से भिन्न हो तथा एक माह में छ: दिवस से अनाधिक राज्य में संचालित हो.	रु. 120.00 प्रति सीट प्रति तीन दिवस".

(3) मद चार, के उपमद (च) के खण्ड (7) के उपखण्ड (एक) और (दो) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड स्थापित किये जाएं अर्थात् :—

"(एक) साधारण बस के लिए	रु. 14.00 प्रति सीट प्रतिदिन.

(दो) वातानुकूलित/डीलक्स बस	रु. 20.00 प्रति सीट प्रतिदिन.

(4) मद पांच, के उपमद (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"क" जिसका सकल यानभार—

(एक) 2,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 300.00 प्रति तिमाही.
(दो) और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 500 किग्रा. या उसके भाग के लिये	रु. 75.00 प्रति तिमाही.

(5) मद आठ के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"आठ क-कटाई यंत्र, क्रेन तथा रिंग मशीन जिसका लदान रहित भार :—

(एक) 1,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	रु. 200.00 प्रति तिमाही.
(दो) और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि.ग्रा. या उसके भाग के लिए	रु. 300.00 प्रति तिमाही."

(6) मद नौ के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"नौ-इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट यानों के वर्ग में से किसी वर्ग के अंतर्गत न आने वाले ऐसे समस्त अन्य मोटरयान :—

जिसका लदान रहित भार—

(एक)	1,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 175.00 प्रति तिमाही
(दो)	1,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 2,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 225.00 प्रति तिमाही
(तीन)	2,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 3,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 325.00 प्रति तिमाही
(चार)	3,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 4,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 425.00 प्रति तिमाही
(पांच)	4,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 5,000 कि. ग्रा. से से अधिक नहीं है.	रु. 575.00 प्रति तिमाही
(छ:)	5,000 कि.ग्रा. से अधिक है किन्तु 6,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 750.00 प्रति तिमाही
(सात)	6,000 कि. ग्रा. से अधिक है किन्तु 7,000 कि. ग्रा. से अधिक नहीं है.	रु. 975.00 प्रति तिमाही
(आठ)	और तत्पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त 1,000 कि. ग्रा. या उसके भाग के लिए	रु. 300.00 प्रति तिमाही

(नौ) प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिये कर रु. 100.00 प्रति तिमाही

टिप्पणी :—(1) इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कर की दरें, संबंधित वर्ग के मोटरयानों को तभी लागू होंगी जब उनमें हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुये हों.

(2) गैर हवादार (नान न्यूमेटिक) टायर लगे हुये किसी मोटरयान की बाबत कर की दरें उसी वर्ग के हवादार (न्यूमेटिक) टायर लगे हुये यान के लिये विनिर्दिष्ट की गई दरों की डेढ़ गुना होगी.''

द्वितीय अनुसूची में संशोधन.

7. द्वितीय अनुसूची में :—

(1) मद 5 के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''6 सकल यानभार 3,500 कि. ग्रा. से अनधिक मालयान—

जिसकी की कीमत :—

क. रु. 2.5 लाख से अधिक नहीं — यान की कीमत का 12 प्रतिशत

ख. रु. 2.5 लाख से अधिक — यान की कीमत का 10 प्रतिशत''

(2) स्पष्टीकरण (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

''4 मोटर साईकिल, मोटरकार, आटोरिक्शा (तिपहिया, लोकसेवा यान) निजी उपयोग के लिये रजिस्ट्रीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक तथा 12 तक है (चालक को छोड़कर) एवं सकल यानभार 3,500 कि. ग्रा. से अनधिक मालयान के संबंध में जो प्रथम पंजीयन दिनांक से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, जीवनकाल कर की गणना इस अनुसूची के भाग दो में विनिर्दिष्ट कीमत के आधार पर की जायेगी.''

(3) द्वितीय अनुसूची की प्रविष्टियां जैसी संशोधित की गई है, भाग-एक के रूप में पुन: क्रमांकित की जायेगी, तत्पश्चात् ऐसे पुन: क्रमांकित भाग-एक पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

भाग-दो

प्रथम रजिस्ट्रीकरण दिनांक से आयु की गणना के आधार पर पुराने मोटरयानों की निश्चित की गई कीमत रुपयों में

स.क्र.	मोटरयान का वर्ग	आयु 5 वर्ष से अधिक नहीं	आयु 5 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष से अनधिक	15 वर्ष से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मोटर साईकिल :—			
	1. जिनका लदान रहित भार—			
	(क) 70 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	8,000	6,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ख) 70 कि. ग्रा. से अधिक			
	(एक) 200 सी. सी. तक	यान का वर्तमान मूल्य	15,000	8,000
	(दो) 200 सी. सी. से अधिक किन्तु 325 सी.सी. अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	20,000	10,000
	(तीन) 325 सी. सी. से अधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	30,000	15,000
2.	मोटर कार :—			
	1. जिनका लदान रहित भार :—			
	(क) 800 कि. ग्रा. से अधिक नहीं	यान का वर्तमान मूल्य	1,00,000	50,000
	(ख) 800 कि. ग्रा. से अधिक किन्तु 2000 कि.ग्रा. से अधिक नहीं.	यान का वर्तमान मूल्य	1,50,000	1,00,000
	(ग) 2,000 कि.ग्रा. से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	6,00,000	3,00,000
3.	आटो रिक्शा (लोक सेवायान) :—			
	(क) 3 सीट से अधिक नहीं चालक को छोड़कर.	यान का वर्तमान मूल्य	30,000	15,000
	(ख) 3 सीट से अधिक चालक को छोड़कर	यान का वर्तमान मूल्य	60,000	20,000
4.	निजी उपयोग के लिये पंजीकृत ओमनी बस जिसकी बैठक क्षमता 6 से अधिक परंतु 12 से अनधिक (चालक को छोड़कर).			
	(क) प्रथम पंजीयन के समय यान की कीमत			
	(एक) रु. 2.5 लाख से अधिक नहीं.	यान का वर्तमान मूल्य	1,25,000	60,000
	(दो) रु. 2.5 लाख से अधिक परंतु 4.00 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	1,62,500	80,000
	(तीन) रु. 4.00 लाख से अधिक परंतु 5.5 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	2,37,500	1,10,000
	(चार) रु. 5.5 लाख से अधिक परंतु 8.00 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	3,12,500	1,50,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(पांच) रु. 8.0 लाख से अधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	4,50,000	2,25,000
5.	मालयान जिसकी सकल भार क्षमता 3,500 कि. ग्रा. से अधिक नहीं			
	(क) प्रथम पंजीयन के समय यान की कीमत			
	(एक) रु. 1.0 लाख से अधिक नहीं.	यान का वर्तमान मूल्य	50,000	25,000
	(दो) रु. 1.0 लाख से अधिक परंतु 2.0 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	75,000	35,000
	(तीन) रु. 2.0 लाख से अधिक परंतु 3.0 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	1,25,000	60,000
	(चार) रु. 3.0 लाख से अधिक परंतु 4.0 लाख से अनधिक.	यान का वर्तमान मूल्य	1,75,000	75,000
	(पांच) रु. 4.00 लाख से अधिक	यान का वर्तमान मूल्य	2,50,000	1,25,000

टिप्पणी :—(1) जहां ऊपर भाग-दो के कालम (4) एवं (5) में निर्दिष्ट कीमत मोटरयान के चालू कीमत से अधिक है तो कराधान प्राधिकारी इस भाग के उद्देश्यों के लिए ऐसे मोटरयान को कर की गणना के लिये चालू कीमत लेगा.

(2) जहां विशिष्ट मेक एवं माडल के वाहन का निर्माण बंद कर दिया गया हो, एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करना संभव नहीं हो तो, ऐसे मेक एवं माडल के वाहन के निर्माण के विच्छेदन पर उपलब्ध अंतिम कीमत के आधार पर कालम तीन के उद्देश्यों के लिये वर्तमान कीमत ली जावेगी एवं स्वामी कराधान प्राधिकारी की संतुष्टि का साक्ष्य प्रस्तुत करेगा.

(3) जहां वाहन स्वामी उपरोक्त टिप्पणी (2) के अनुसार संतोषप्रद साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, वाहन का वर्तमान मूल्य उपरोक्त भाग-दो के कालम चार में दर्शाई गयी कीमत से 25 प्रतिशत अधिक की दर से गणना की जायेगी.''

तृतीय अनुसूची में संशोधन.

8. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची, के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची, स्थापित की जाए :—

तृतीय अनुसूची
(धारा 4 देखिये)

अ.क्र. (1)	यानो का वर्णन (2)	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में प्रथम सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर (3)	किसी विनिर्माता या व्यापारी के कब्जे में के अतिरिक्त सात या कम यानों के लिये वार्षिक कर (4)
1.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साईकिल (इंजन क्षमता 50 सी.सी. से अनधिक)	रु. 1,000.00	रु. 1,000.00
2.	मोपेड एवं मशीनयुक्त साइकिल से भिन्न मोटर साईकिल.	रु. 1,250.00	रु. 1,250.00
3.	तिपहिया वाहनों के लिये	रु. 1,250.00	रु. 1,250.00
4.	हल्का मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है.	रु. 1,500.00	रु. 1,500.00

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	मध्यम मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 1,750.00	रु. 1,750.00
6.	भारी मोटरयान जिसमें चेसिस भी सम्मिलित है	रु. 2,000.00	रु. 2,000.00
7.	अन्य मोटरयान	रु. 1,250.00	रु. 1,250.00

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2002

क्रमांक 3168/21-अ/प्रारूपण/01.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन)अधिनियम, 2002 (क्र. 22 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव

CHHATTISGARH ADHINIYAM

(No. 22 of 2002)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002

An Act further to amend Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Be it encated by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty Third year of the Republic of India as follows :—

Short Title.

1. This Act may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2002 (No. 22 of 2002).

Amendment in Section 2

2. (i) After clause (b) of section 2 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ba) "Private Service Vehicle" includes a motor vehicle owned by a partnership firm, a body corporate, a company or a factory and does not include a motor vehicle used for public purposes".

(ii) For clause (d) of Section 2 of the Principal Act, the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) "year" in case of a fleet owner means the financial year, and in any other cases, means a period of twelve months commencing on the first day of the month in which a motor vehicle is registered or a new registration mark is assigned to it under the Motor Vehicle Act, 1988 and a "quarter" means every three months commencing on the first day of the month in which a motor vehicle is registered or a new registration mark is assigned to it.

Amendment in Section 13 (1).

3. In sub-section (1) of Section 13 of the Principal Act,—

(i) For the words "one-third" and the words "not exceeding twice" the words "one-twelveth" and the words "equal to the outstanding and unpaid amount of tax" shall respectively be substituted.

(ii) In proviso of above section for the words "one-tenth" and the words "each year or part thereof" the words "one-hundredth" and the words "each month or part thereof" shall respectively be substituted.

(iii) After the above proviso the following second proviso shall be inserted, namely,—

"Provided further that if the payment of penalty of any period is outstanding on 1-11-2000 and defaulter pays it before 1-11-2002, then he shall be given a rebate of 50% in the outstanding amount of penalty"

Amendment in Section 17

4. For Section 17 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely :

"17. Offences, penalties and Competent Court :— (1) An owner of a motor vehicle if—

(a) submits or allows to be submitted an incorrect or incomplete declaration or additional declaration under Section 8 or fails to submit a declaration or additional declaration as required under above section, or

(b) submits or allows to be submitted an incorrect or incomplete returns under express conditions of a permit of motor vehicle or fails to submit a return as required under the conditions of permit, or

(c) fraudulently or intentionally or otherwise contravenes the provisions of non-use of vehicle mentioned in sub-section (1) of Section 14 or rules made there-under, or

(d) willfully acts in contravention of any of the provisions of this Act or any rules made there-under or any lawful orders passed in accordance therewith,

Shall be punishable with fine, which may extend to five thousand Rupees and for any second or subsequent offence with fine which shall not be less than five thousand Rupees and may extend up to ten thousand Rupees.

(2) The amount of any tax under Section 3 and penalty under Section 13 shall be recoverable as if it were a fine.

(3) Offence punishable under this Act shall be enquired into or tried by the court of Magistrate First Class.

Insertion of Section 17 A

5. After Section 17 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"17 A. Composition of offences :—(1) The Taxation Authority may, either before or after the institution of proceedings for any offence punishable under Section 17, compound such offences by way of composition thereof at the rate as state government may by notification specify in this behalf.

(2) On payment by the defaulter such sum as may be determined by the Taxation Authority under sub-section (1), no further action shall be taken against him and if any proceedings in respect of such unlawful act has already been instituted against him in any court such payment shall have the effect of the exoneration or discharge."

Amendment in the first Schedule.

6. In the FIRST SCHEDULE of the Principal Act;

(1) For sub-item (a), (b) and (c), of item IV, the following sub-items shall be substituted, namely :—

"(a)	Vehicle permitted to carry not more than three passengers (motorcycle/ auto-rickshaw/3-wheeler/4-wheeler).		Rs. 50.00 per seat per quarter
(b)	Vehicle permitted to carry more than three but not more than six passengers (3-wheeler/4-wheeler)		
	(i)	covered with All India Tourist Permit.	Rs. 200.00 per seat per quarter
	(ii)	covered with a Permit other than mentioned in (i) above.	Rs. 150.00 per seat per quarter

(c) Vehicle permitted to carry more than six passengers & plying as stage carriage contract carriage on city routes or adjacent areas as notified by the state government time to time.

(i)	in respect of vehicles permitted to ply as express service.	Rs. 125.00 per Seat per quarter
(ii)	in respect of vehicles permitted to ply as ordinary service.	Rs. 100.00 per seat per quarter

(2) For clause (3) of sub-item (f), of item IV, the following clause shall be substitued. namely :—

"(3) Vehicle permitted to carry more than six passengers & plying as contract carriage covered by all India Tourist Permit issued by other state under sub -section (9) of Section 88 of the Motor Vehicle Act, 1998 for each seat (excluding driver) which the vehicle is permitted to carry—

(a)	In respect of tourist vehicle plying on regular basis.	Rs. 900.00 per seat per month
(b)	In respect of tourist vehicle plying on causal basis other than regular basis and remains in the state not more than six days in a month.	Rs. 120.00 per seat per three days"

(3) For sub-clause (i) and (ii) of clause (7) of sub-item (f), of item IV. the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

(i)	for ordinary bus	Rs. 14.00 per seat per day.
(ii)	For air-conditions/deluxe bus	Rs. 20.00 per seat per day."

(4) For sub-item (a) of item V, the following sub-items shall be substituted. namely :—

"(a) The Gross Vehicle weight of which—

(i)	does not exceed 2,000 kgs	Rs. 300.00 per quarter
(ii)	and thereafter for each additional 500 kgs. or part thereof.	Rs. 75.00 per quarter

(5) After item VIII the following item shall be inserted, namely :—

"VIIIA. HARVESTER, CRANES AND RIG MACHINE
the un-laden weight of which :—

(i)	does not exceed 1000 kgs.	Rs. 200.00 per quarter
(ii)	and thereafter for each additional 1000 kgs. or part thereof.	Rs. 300.00 per quarter

(6) For item IX, the following item shall be substituted namely :—

"IX. All other motor vehicles not included in any of the class of vehicles specified in this schedule—

The unladen weight of which :—

(i)	Does not exceed 1,000 kgs.	Rs. 175.00 per quarter
(ii)	Exceeds 1,000 kgs but does not exceed 2,000 kgs	Rs. 225.00 per quarter
(iii)	Exceeds 2,000 kgs but does not exceed 3,000 kgs	Rs. 325.00 per quarter
(iv)	Exceeds 3,000 kgs but does not exceed 4,000 kgs.	Rs. 425.00 per quarter
(v)	Exceeds 4,000 kgs but does not exceed 5,000 kgs.	Rs. 575.00 per quarter
(vi)	Exceeds 5,000 kgs but does not exceed 6,000 kgs.	Rs. 750.00 per quarter
(vii)	Exceeds 6,000 kgs but does not exceed 7,000 kgs.	Rs. 975.00 per quarter
(viii)	And thereafter for each additional 1,000 kgs. or part thereof.	Rs. 300.00 per quarter
(ix)	Tax for each trailer per quarter	Rs. 100.00 per quarter

Note :—(1) The rate of tax specified in this schedule are applicable to motor vehicles of respective class fitted with pneumatic tyres.

(2) The rate of tax in respect of a motor vehicles fitted with non-pneumatic tyres shall be one and half times the rates specified for a similar class of vehicle fitted with pneumatic tyres.

Amendment in the second schedule.

7. In the SECOND SCHEDULE :—

(1) After item 5, the following item shall be inserted, namely :—

"6 Goods carriage not more than 3,500 kgs. Gross Vehicle weight the cost of which—

(a)	does not exceed Rs. 2.5 lacs	12% of the cost of vehicle
(b)	exceed Rs. 2.5 lacs	10% of the cost of vehicle

(2) After explanation 3, the following explanation shall be inserted, namely :—

"4. In respect of motor cycle, motor car, auto-rickshaw (three wheeler public service vehicle), omni bus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver) and goods carriage not more than 3,500 kgs. Gross Vehicle Weight, which are older then one year from the date of first registration, the computation of life-time tax shall be made on the cost mentioned in part II of this Schedule.

(3) The entries in the Second Schedule as amended shall be re-numbered as Part-I and after Part-I so renumbered, the following part shall be added namely :—

"PART II

Cost fixed in Rupees for the old Motor Vehicles according to age reckoned from the date of the first registration

S. No.	Class of Motor Vehicle	Age not more than 5 years.	More than 5 years but not more than 15 year	More than 15 years
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Motor Cycle :—**			
	I. the unladen weight of which			
	(a) does not exceed 70 kgs.	current cost of vehicle.	8.000	6.000
	(b) exceed 70 kgs.			
	(i) up to 200 cc	current cost of vehicle.	15.000	8.000
	(ii) more than 200 cc but not more than 325 cc	current cost of vehicle	20.000	10.000
	(iii) more than 325 cc	current cost of vehicle.	30.000	15.000
2.	**Motor Car :—**			
	unladen weight of which :—			
	(a) does not exceed 800 kgs.	current cost of vehicle.	1.00.000	50.000
	(b) exceed 800 kgs but does not exceed 2.000 kgs.	current cost of vehicle.	1.50.000	1.00.000
	(c) exceed 2.000 kgs.	current cost of vehicle.	6,00.000	3.00.000
3.	**Auto-reckshaw (Public Service Vehicle) :—**			
	(a) does not exceed 3 seats excluding driver.	current cost of vehicle.	30.000	15.000
	(b) exceed 3 seats	current cost of vehicle.	60.000	20.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	**Omni bus registered for private use having seating capacity exceeding 6 and up to 12 (excluding driver) :—**			
	(a) cost of which at the time of first registration—			
	(i) does not exceed Rs. 2.5 lacs.	current cost of vehicle.	1,25,000	60,000
	(ii) exceed Rs. 2.5 lacs but does not exceed Rs. 4.0 lacs.	current cost of vehicle.	1,62,500	80,000
	(iii) exceed Rs. 4.0 lacs but does not exceed Rs. 5.5 lacs.	current cost of vehicle.	2,37,500	1,10,000
	(iv) exceed Rs. 5.5 lacs but does not exceed Rs. 8.0 lacs.	current cost of vehicle.	3,12,500	1,50,000
	(v) exceed Rs. 8.0 lacs	current cost of vehicle.	4,50,000	2,25,000
5.	**Goods carriage which does not exceed 3,500 kgs. in gross vehicle weight—**			
	(a) cost of which at the time of first registration—			
	(i) does not exceed Rs. 1.0 lacs.	current cost of vehicle.	50,000	25,000
	(ii) exceed Rs. 1.0 lacs but does not exceed Rs. 2.0 lacs.	current cost of vehicle.	75,000	35,000
	(iii) exceed Rs. 2.0 lacs but does not exceed Rs. 3.0 lacs.	current cost of vehicle.	1,25,000	60,000
	(iv) exceed Rs. 3.0 lacs but does not exceed 4.0 lacs.	current cost of vehicle.	1,75,000	75,000
	(v) exceed Rs. 4.0 lacs.	current cost of vehicle.	2,50,000	1,25,000

Note :— (i) Where the cost mentioned in column (4) and (5) in Part-II above is more than the current cost of a motor vehicle, the Taxation Authority shall take the current cost of such motor vehicle for the purpose of calculation of tax of this part.

(ii) Where a particular make and model of vehicle is out of manufacture and current cost is not possible to arrive at, last cost available at the discontinuation of manufacture of such make and model of vehicle shall be taken for the purposes of column 3 as current cost and the owner shall produce the proof to the satisfaction of the Taxation Authority.

(iii) Where the owner of a motor vehicle is unable to produce satisfactory proof as per note (ii) above, the current cost of such motor vehicle shall be reckoned at the rate of 25% more than the rate mentioned in column 4 of such category of motor vehicles in Part-II above".

8. For the THIRD SCHEDULE of the Principal Act, the following in SCHEDULE shall be substituted, namely :—

Amendment the third Schedule.

" THIRD SCHEDULE
(See Section 4)

Description of vehicles (1)	Annual Tax for first seven or less vehicles in possession of a manufacturer or dealer (2)	Annual Tax for additional seven or less vehicles in possession of a manufacturer or dealer (3)
1. Mopeds & Motorized cycles (engine capacity not exceeding 50 cc)	Rs. 1000.00	Rs. 1000.00
2. Motor-Cycle other than mopeds & motorized cycles.	Rs. 1250.00	Rs. 1250.00
3. Three wheelers vehicles	Rs. 1250.00	Rs. 1250.00
4. Light motor vehicles including chassis.	Rs.1500.00	Rs. 1500.00
5. Medium motor vehicles including chassis.	Rs. 1750.00	Rs. 1750-.00
6. Heavy motor vehicles including chassis.	Rs. 2000.00	Rs. 2000.00
7. Other motor vehicles	Rs. 1250.00	Rs. 1250.00"

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.